

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या 2008 / 2011 / झालावाड़

मैसर्स शिवकुमार विजयकुमार,
रामगंजमण्डी।

....अपीलार्थी.

बनाम
सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,
घट-द्वितीय, रामगंजमण्डी।

.....प्रत्यर्थी.

एकलपीठ
श्री मदनलाल मालवीय, सदस्य

उपस्थित ::

श्री एम.एल.पाटौदी,

अभिभाषक

श्री अनिल पोखरणा,

उप-राजकीय अभिभाषक

.....अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से.

.....प्रत्यर्थी राजस्व की ओर से.

निर्णय दिनांक : 05 / 03 / 2018

निर्णय

1. अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा यह अपील उपायुक्त (अपील्स) वाणिज्यिक कर विभाग, अजमेर कैम्प कोटा (जिसे आगे 'अपीलीय अधिकारी' कहा जायेगा) के अपील संख्या 09 / वेट / 2010-11 / झालावाड़ में पारित किये गये आदेश दिनांक 29.06.2011 के विरुद्ध राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे 'अधिनियम' कहा जायेगा) की धारा 25 के तहत प्रस्तुत की गयी हैं। अपीलीय अधिकारी ने उक्त आदेश से सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट-द्वितीय, रामगंजमण्डी (जिसे आगे 'कर निर्धारण अधिकारी' कहा जायेगा) द्वारा अपीलार्थी की आलौच्य अवधि वर्ष 2007-08 के लिये पारित किये गये कर निर्धारण आदेश दिनांक 23.03.2010 द्वारा आरोपित मांग राशि रूपये 1,73,860/- को यथावत् रखा है।
2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा जांच के दौरान पाया गया कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा विक्रेता व्यवहारी मैसर्स हीना ट्रेडिंग कम्पनी, रामगंजमण्डी से कोई माल क्रय नहीं किया गया बल्कि गलत आई.टी.सी. क्लेम करने के लिये कमीशन पर वेट बिल क्रय किये हैं। इस संबंध में विक्रेता व्यवहारी से जांच की ओर शपथ पत्र प्राप्त किये, जिसमें उन्होंने लिखा है कि आलौच्य वर्ष में उनके द्वारा कोई विक्रय नहीं किया गया है, बल्कि बिल राशि का कमीशन लेकर वेट इनवॉइस जारी किये गये उन्होंने न तो कोई सामान खरीद किया है और न ही विक्रय गलत आई.टी.सी. क्लेम करने के लिये क्रेता व्यवहारी द्वारा फर्जी बिल प्राप्त किया गया है। इस आधार पर कर निर्धारण अधिकारी ने अपीलार्थी व्यवहारी को आई.टी.सी. रिवर्स करने, कर व शास्ति का आरोपण करने हेतु नोटिस जारी किया गया। अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा इसका जवाब प्रस्तुत किया गया, जिससे असंतुष्ट होकर प्रत्यर्थी विभाग ने कर निर्धारण करते हुए कुल मांग राशि रूपये 1,73,860/- का आरोपण कर दिया। प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा उक्त आदेश के विरुद्ध अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत किये जाने पर उन्होंने अपने अपीलाधीन आदेश

दिनांक 29.06.2011 द्वारा प्रस्तुत अपील को अस्वीकार कर दिया। अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित उक्त आदेश से क्षुब्ध होकर अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा यह अपील कर बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

3. उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

4. अपीलार्थी व्यवहारीगण के विद्वान अधिवक्ता ने कथन किया कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा वैध विक्रय बिलों से ही माल का क्रय किया है और वैट चुकाया है। उन्होंने तर्क किया कि अपीलार्थी व्यवहारी ने किसी भी संव्यवहार को अपनी लेखापुस्तकों से नहीं छिपाया है और ना ही किसी फर्जी बिल के माध्यम से आईटीसी क्लेम किया है। मात्र शपथ पत्र के आधार पर विक्रेता व्यापारी द्वारा जारी किये गये वैट इनवॉईस को फर्जी मानकर अधिनियम की धारा 61 के तहत शास्ति का आरोपण किया जाना विधिसम्मत नहीं होगा, अपने कथन के समर्थन में उन्होंने माननीय उच्च न्यायालय का निर्णय 32 टैक्स अपडेट 11 एवं माननीय कर बोर्ड का निर्णय 35 टैक्स अपडेट 41 के उद्धरण पेश किये। आगे उन्होंने अपने कथन में अपीलीय अधिकारी एवं कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित आदेशों को अपास्त करते हुए अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार करने का निवेदन किया।

5. प्रत्यर्थी—विभाग के विद्वान उप राजकीय अधिवक्ता ने अपने तर्कों में यह कहा है कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा माल (धनिया) की खरीद ना करके सिर्फ बीजक का ही क्रय किया है, जिससे अपीलार्थी की करापवंचन की दुर्भावना सिद्ध होती है। अपीलार्थी द्वारा फर्जी एवं कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर आई.टी.सी. पुनः क्लेम कर राजस्व को हानि पहुँचाई है। आगे उन्होंने अपीलीय अधिकारी एवं कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित आदेशों का समर्थन करते हुए अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपील को अस्वीकार करने का निवेदन किया।

6. उभयपक्षों की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त रेकार्ड एवं अपीलार्थी व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक द्वारा उद्घरित न्यायिक निर्णयों का सम्मान अवलोकन किया गया। अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलार्थी व्यवहारी ने धनिया क्रय करके इस पर आई.टी.सी क्लेम किया, परन्तु कर निर्धारण अधिकारी ने जांच में पाया कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा किया गया क्लेम गलत है, तथा उनके द्वारा धनिया का क्रय नहीं किया जाकर कमीशन पर वैट बिल क्रय किये गये हैं, और विक्रेता व्यापारी द्वारा जारी बिलों में प्रदर्शित कर को राजकोष में भी जमा नहीं करवाया है।

7. हस्तगत प्रकरण में विक्रेता व्यापारी द्वारा दिये गये शपथ पत्रों के आधार पर कर निर्धारण अधिकारी ने अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत बिलों को फर्जी माना है। इन शपथ पत्रों में मुख्य रूप से यह लिखा गया है कि विक्रेता व्यापारी ने आलौच्य अवधि में उनके द्वारा अपीलार्थी व्यवहारी को माल की कोई डिलीवरी नहीं दी है, उनके द्वारा मात्र कमीशन

लेकर बिल जारी किये गये है, एवं बिलों की राशि का भुगतान जरिये डीडी जमा हुआ है और उनके द्वारा जारी सेल्फ के चेकों के आधार पर इस राशि को वापस अपीलार्थी द्वारा उठा लिया गया है।

8. अपीलार्थी व्यवहारी के अभिभाषक द्वारा दिये गये माननीय न्यायालयों के न्यायिक निर्णयों माननीय उच्च न्यायालय का निर्णय 32 टैक्स अपडेट 11 एवं माननीय कर बोर्ड का निर्णय 35 टैक्स अपडेट 41 इस प्रकरण पर लागू नहीं होते, क्योंकि इन न्यायिक निर्णयों में आई.टी.सी पेश करने में तकनीकी भूल हुई थी, जिस पर शास्ति का आरोपण नहीं किया जा सकता था, परन्तु हस्तगत प्रकरण में जानबूझकर कर चोरी की मंशा से अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा विक्रय बिलों का खरीद करके करापवंचन को अंजाम दिया गया, जो कि अपीलीय अधिकारी ने भी अपने अपीलीय आदेश में मानते हुए आई.टी.सी. व व्याज, शास्ति को यथावत रखा गया है।

9. उक्त प्रकरण में माननीय राजस्थान कर बोर्ड की खण्डपीठ अपील संख्या 869/2008/श्रीगंगानगर वा.क.अ., श्रीगंगानगर बनाम मैसर्स सतीश गोयल एण्ड संस. श्रीगंगानगर निर्णय दिनांक 17.05.2012 में स्पष्ट रूप से अभिनिर्धारित किया गया है कि धारा 18(3)(v) में यह व्यवस्था की गई है कि क्रेता व्यवसायी का यह कर्तव्य है कि वह अपने खरीद संबंधी संव्यवहार की प्रमाणिकता, सत्यता सिद्ध करें। परन्तु इस प्रकरण में केवल कमीशन देकर बिल प्राप्त किये गये हैं और माल का वास्तविक आदान-प्रदान नहीं किया गया है। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा उक्त तथ्यों की जांच करने के पश्चात सिद्ध किया गया है कि आई.टी.सी. का गलत लाभ लेने के लिये सुनियोजित तरीक से केवल बिल प्राप्त किये गये हैं एवं उसे सही साबित करने के लिये बैंक के माध्यम से भुगतान दर्शाया गया है। वस्तुतः माल की वास्तविक खरीद एवं बिक्री नहीं की गई तथा विक्रेता मालिक से जांच करने पर उसने शपथपूर्वक बयान दिये कि उसके द्वारा कोई धनिया विक्रय नहीं किया गया बल्कि कमीशन लेकर वैट इनवाइस जारी किया गया है। इसी प्रकार वैट अधिनियम की धारा 18(3)(v) के प्रावधानों के अनुसार क्रेता व्यवहारी द्वारा खरीद संव्यवहार सही प्रमाणित करने की स्थिति में ही आई.टी.सी. प्राप्त करने का हकदार है। इस संदर्भ में वैट अधिनियम की धारा 10 के प्रावधान भी सुसंगत है, जो इस प्रकार है :—

"Burden of proof :- The Burden of proving that any sale of purchase effected by any person is not liable to tax for reason under this Act or to prove for entitlement of input tax credit on any purchases, shall be on such person."

उक्त प्रावधानों के अनुसार भी किसी खरीद पर इनपुट टैक्स क्रेडिट की पात्रता साबित करने का भार क्रेता व्यवहारी पर ही है, जो इस प्रकरण में पूरा नहीं किया गया है।

10. अतएव अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष आलोच्य अवधि की

विवादित खरीद के संव्यवहार सही होना प्रमाणित करने में असफल रहने पर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अपीलार्थी व्यवहारी को उक्त खरीद पर वेट अधिनियम की धारा 18(3)(v) के तहत इनुपट टैक्स क्रेडिट का लाभ अस्वीकार किया जाकर कर, ब्याज एवं शास्ति का आरोपण किया जाना पूर्णतः विधिसम्मत है।

11. उपरोक्तानुसार राजस्थान कर बोर्ड के निर्णय के आलोक में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आरोपित आई.टी.सी अस्वीकृत करके आरोपित किया गया कर, ब्याज एवं शास्ति को यथावत रखा जाता है।

12. फलतः अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत यह अपील अस्वीकार की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।

(मदनलाल मालवीय)

सदस्य

संशोधित दिनांक १०.०१.२०११